फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

गांगु देवी बनाम पांचु देवी

किस्म मुकदमा .....225.आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....79.....सन.....2022.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.12.2022	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा मुकदमा संख्या 42/2022 बउनवान गांगुदेवी बनाम पांचुदेवी में पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा वोढा तहसील सांचौर के नवीन खसरा नम्बर 646/397 रकबा 5.33 हैक्टर में अपीलाण्ट को हिस्सा दिये बिना रेस्पोडेण्ट पांचुदेवी के पति हकमाराम गोदपुत्र प्रभु ने अकेले का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवा दिया जबकि गांगुदेवी प्रभु की एकमात्र जायन्दा पुत्री है। अपीलाण्ट प्रभु की जायन्दा पुत्री होने के कारण राजस्व रेकॉर्ड में अपीलण्ट का नाम नहीं उतरने से अपीलाण्ट ने खातेदारी हक का दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 पांचु देवी व उनके पति हकमाराम ने वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया है, तथा शेष आराजी का बेचान करने पर आमादा है, इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने उक्त आराजीयात का बेचान कर दिया तो अपीलाण्ट के हितो पर कुठाराघात होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश गलत रूप से पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावे। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की जो प्रतियां प्रस्तुत की गई है, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश जारी नहीं किया। तद्नुसार विधिक दृष्टिकोण से प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में हम यह निर्देश दिया जाना उचित समझते हैं कि उपखण्ड अधिकारी सांचौर दोनो पक्षों को सुनकर विधि अनुसार कार्यवाही कर दो माह के भीतर प्रकरण पर यथोचित निर्णय पारित करें, तब तक जैर अपील विवादित आराजी मौजा नवीन खसरा नम्बर 646/397 रकबा 5.33 हैक्टर की आराजी के संबंध में उभयपक्षकारान मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार सांचौर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली